an>

Title: Need to give permission to advocates for arguing their case in Hindi Language in High Courts and Supreme Court.

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। देश में कई ऐसे विधि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, जहां विधि के छात्रों को हिन्दी भाषा में अध्ययन कराया जाता है। उत्तरी, पश्चिमी तथा मध्य भारत के अधिकांश विधि छात्रों की भाषा का माध्यम हिन्दी भाषा होती है। ऐसी परिस्थिति में, जब विधि के छात्र वकील का व्यवसाय अपनाते हैं और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जब वकील के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं तो उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिभाशील वकील होने के बावजूद भी उनमें हीन भावना आ जाने के कारण मजबूरन उन्हें निचली अदालतों में वकील का व्यवसाय करने के लिए मज़बूर होना पड़ता है।

मेरी आपके माध्यम से भारत के कानून मंत्री से यह मांग है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिन्दी भाषा के माध्यम से विधि स्नातक वकीलों को हिन्दी में बहस करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससे बहुत बड़े वर्ग को लाभ प्राप्त हो सकता है। माननीय न्यायाधीश अपना फैसला अंग्रेजी में दे सकते हैं। उनका फैसला अंग्रेजी भाषा में सुनाया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बहस की बाध्यता को खत्म करना भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा लाभकारी कदम सिद्ध होगा।

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) :** मैडम स्पीकर, उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में हिन्दी में भी वकीलों को अपना आर्ग्यूमेंट करने का मौका देना चाहिए। वे अंग्रजी भाषा में बोलें या दूसरी भाषा में बोलें, पर उन्हें हिन्दी भाषा में भी बहस करने का मौका देना चाहिए।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** अध्यक्ष जी, वे अंग्रेजी में बहस करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, वहां हिन्दी में बहस एलाउ नहीं है। मैं कहता हूं कि वहां हिन्दी में भी बहस करना एलाउ होना चाहिए। वे चाहे अंग्रेजी में बहस करें, हमें इससे आपत्ति नहीं है। पर, हिन्दी भाषा में भी बहस करना एलाउ होना चाहिए, ताकि जो हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें न्याय मिल सके।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :**

डॉ. किरिट पी. सोलंकी,

श्री निशिकान्त दुबे,

श्री दुष्यंत सिंह,

डॉ. संजय जायसवाल,

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

श्री हरिओम सिंह राठौड़,

श्री अजय मिश्रा टेनी,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री देवजी एम. पटेल को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, we would support Marathi also.

**माननीय अध्यक्ष :** मेरे ख्याल से यह बात सही है। इनका कहना है कि यह अंग्रेजी भाषा में तो हो ही रही है, मगर हिन्दी भाषा में भी होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा में तो ऑलरेडी हो रही है।